समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ संख्या–2

स्थान–लक्सर, जिला हरिद्वार।

दिनांक. 13.12.2025

पीठ संख्या–	: 2
परिवाद संख्या –	: 631/2022 कम्प्यूटर नं0 5246/22
परिवादी/शिकायतकर्ता–	: सुनील कुमार
परिवादी के अधिवक्ता–	: श्री नीरज सागर
अभियुक्त–	: बबलू
वाद की प्रकृति–	: धारा–138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम

उपस्थित

अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ : ललिता सिंह, सिविल जज (सी0डि0)/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्सर, जिला हरिद्वार।

सदस्य, राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ : श्रीमती निधि शर्मा

पंचाट

उपरोक्त परिवाद धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित है, जो कि धारा 147 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत शमनीय प्रकृति का मामला है, जिसे परिवादी अभियुक्त के विरूद्ध शमन करने के लिए विधितः सशक्त है। परिवादी **सुनील कुमार** द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध शमन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो पत्रावली पर संलग्न है जिसके आधार मामला निस्तारण/शमन हेतु पीठ के समक्ष प्रस्तुत/संदर्भित किया गया है। परिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित व अभियुक्त के अधिवक्ता उपस्थित।

परिवादी व अभियुक्त द्वारा संयुक्ततः वास्ते शमन प्रार्थना पत्र इस आशय के अभिवाक् के साथ योजित किया है कि.... *'' प्रार्थी सुनील कुमार मामले में परिवादी है। पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। परिवादी अपने मामले का शमन करना चाहता है। अतः मामले का शमन करने की प्रार्थना की गयी।' '*

परिवादी द्वारा मामले को उसके द्वारा प्रस्तुत शमन प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध शमन करने की प्रार्थना की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिसम्मत है। अतः परिवादी द्वारा शमन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मामले का शमन किया जाता है, जिसका प्रभाव अभियुक्त **बबलू** की दोषमुक्ति होगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **एम0पी0 स्टेट लीगल सर्विस बनाम प्रतीक जैन एवं अन्य सिविल अपील संख्या–8614 वर्ष 2014,** में दिनांक 10.09. 2014 को निर्णय पारित करते हुए यह भी अवधारित किया गया है कि पक्षकारों के मध्य लोक अदालत में यदि समझौता होता है तो न्यायालय उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए हर्जाने की धनराशि को कम से कम कर सकता है या माफ कर सकता है।

पक्षकारों के बीच सुलह समझौता उनके द्वारा स्वयं के प्रयासों की परिणति है, ऐसी परिस्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में हर्जाने की धनराशि माफ किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार हर्जाने की धनराशि माफ की जा रही है।

पत्रावली संबन्धित न्यायालय को मामले में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव पारित पंचाट के साथ वापस प्रेषित हो।

(श्रीमती निधि शर्मा)
सदस्य पीठ सं0–2

(ललिता सिंह)
अध्यक्ष पीठ सं0–2
लक्सर, जिला हरिद्वार।